तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18-1-17	पत्रावली पेश। वकील प्रतिवादी ने रु 500 प्रस्तुत कर निकेश किया की प्रतिवादी क्र 05 दिनांक 27-11-13 के पश्चात से तुकी की मजदूर वकील वादी ने दिनांक 13-2-14 को पेश किया की जो उक्त राशि मृत के विरुद्ध पेश किया गया की जो मृत के विरुद्ध राशि चल नहीं सकता है इसलिये एवेटमेंट को खारिज किया जावे। वकील वादी बहस की प्रतिवादी क्र 05 के जीवित होने की जानकारी नहीं थी। वकील वादी ने उक्त रु 500 का भुगतान पेश नहीं कर बहस की गई। वकील पत्रावली की बहस के आधार पर मृत वादी के विरुद्ध न तो राशि किसी प्रकार की चल सकता है इसलिये वादी का वाद खारिज एवेट को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार रिकार्ड कर अलग सीलन रखकर दी।

महादेव कलक्टर
(SDO), सांवर

Scanned by CamScanner